पंचायती राज और ग्रामीण महिला सशक्तीकरण

जितेन्द्र कुमार पाण्डेय

सुशासन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आधी आबादी को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो जाता है। इस दिशा में पंचायती राज व्यवस्था कारगर और सार्थक भूमिका अदा कर सकती है। महिला सशक्तीकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका है, क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं संस्थागत स्तर पर बदलाव आया है तथा राजनीतिक सशक्तीकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तीकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से पंचायती राज मील का पत्थर साबित हो रहा है

महिला सशक्तीकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। उनमें इस प्रकार की क्षमता का विकास करना जिससे वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकें एवं उनके अन्दर आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत हो। महिला सशक्तीकरण एक बहुआयामी एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम-समाज की स्थापना करना है, क्योंकि लैंगिक समता को सुशासन की कुंजी कहा जाता है। सुशासन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आधी आबादी को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो जाता है। इस दिशा में पंचायती राज व्यवस्था कारगर और सार्थक भूमिका अदा कर सकती है। महिला सशक्तीकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका है, क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं संस्थागत स्तर पर बदलाव आया है तथा राजनीतिक सशक्तीकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तीकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से पंचायती राज मील का पत्थर साबित हो रहा है। कई अध्येता इसे नारीवादी क्रान्ति का नाम देते हैं क्योंकि इसका परिप्रेक्ष्य बहुत व्यापक है।

देश की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान दे दिया। बाद की सभी सरकारों ने महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में समान दर्जा देने के लिए कई उपाय किए जिससे उनको अपनी प्रतिभा दर्शाने तथा राष्ट्रीय गतिविधियों में सहभागिता के लिए अवसर प्राप्त हुए। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं की विमुक्ति की दिशा में बहुत कुछ किया है लेकिन आज भी स्त्री शोषण एवं विभेदीकृत असमानताओं की शिकार हैं।

प्रधानमंत्री ने महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महिला नेतृत्व से युक्त विकास के महत्व पर बल देते हुए कहा कि राष्ट्र हमेशा ही महिलाओं से सशक्त होता आया है। उन्होंने महिला विकास की सोच से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए सोचने की अपील की।

महिला सशक्तीकरण का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम-समाज की स्थापना करना है क्योंकि लैंगिक समानता को सुशासन की कुंजी कहा जाता है। स्पष्ट है कि सभी समस्याओं की जड़ असमानता में अन्तर्निहित है एवं समाज अपने स्वभाव और प्रकृति में पितृसत्तात्मक है। जैसा कि सीमोन दी बुआ ने अपनी पुस्तक द *सेकेण्ड सेक्स* में लिखा है कि "अब तक औरत के बारे में पुरुषों ने जो कुछ लिखा है उस पर शक किया जाना चाहिए, क्योंकि लिखने वाला न्यायाधीश और अपराधी दोनों हैं। इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार में समानता और देश के विकास में उनकी पूरी सहभागिता के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।"

किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं में परिलक्षित होती है किन्तु महिलाओं के पोषण एवं उनके अधिकारों को लेकर हमारे देश में बहुत काम नहीं हुआ है। लिंग भेद और माताओं के कुपोषण को समाप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। ये मूल रूप से असली समस्याएं हैं। हमारे यहां माताओं के कुपोषण की घटनाएं इस कदर व्यापक हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।

लेखक श्रीमती इन्दिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज, मीरजापुर, उत्तर प्रदेश में प्राचार्य हैं। ईमेल: jkpandey1381@gmail.com

महिला सशक्तीकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटक है जिसको समझने के लिए हमें अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक ढांचे सहित उसके बहुआयामी प्रभाव पर चिन्तन करना होगा जिसमें असमानता गहरे रूप में विद्यमान है। जहां तक राजनीतिक संरचना का प्रश्न है महिलाएं आज विश्व मतदाताओं का आधा हिस्सा बन चुकी हैं लेकिन इनमें से सिर्फ 18 फीसदी ही सांसद हैं। नार्डिक देशों में 41 प्रतिशत, अमेरिकी देशों में 21.8 प्रतिशत अन्य यूरोपीय देशों में 19.1 प्रतिशत उपसहारा अफ्रीकी देशों में 17.2 प्रतिशत प्रशांत क्षेत्र के देशों में 13.13 प्रतिशत अरब देशों में 9.6 प्रतिशत और भारत के सन्दर्भ में राष्ट्रीय विधायिकाओं में भागीदारी के मामले में यह आंकड़ा मात्र 11.8 प्रतिशत है। अधिकतर राज्यों में यह आंकड़ा और भी कम है। देश भर में कुल 4118 विधानसभा सदस्यों में से केवल 9 प्रतिशत महिलाएं हैं।

चुनिंदा देशों की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

रवांडा	61.3
मैक्सिको	42.6
द. अफ्रीका	42.0
इथोपिया	38.8
जर्मनी	37.0
ग्रेट ब्रिटेन	30.0
नेपाल	29.6
फिलिपिन्स	29.5
सिंगापुर	23.8
चीन	23.7
पाकिस्तान	20.6
बांग्लादेश	20.3
इण्डोनेशिया	19.8
सं. राज्य अमेरिका	19.1
रूस	15.8
मिस्र	14.9
भारत	11.8
ब्राजील	10.7
मलेशिया	10.4
जापान	9.3

स्रोत: इण्टर-पार्लियामेण्ट और यूएन वूमन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट वूमन एण्ड पॉलिटिक्स 2017

एक तरफ तो भारत में महिला राष्ट्रपति और महिला प्रधानमंत्री के रूप में जानीमानी महिलाएं हुई हैं तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर बड़े राजनीतिक दलों की प्रमुख महिलाएं हैं लेकिन इसके बावजूद मानव विकास रिपोर्ट (2015 के अनुसार) लैगिंक असमानता सूचकांक में 188 देशों में भारत 130वें स्थान पर है तथा भारत में महिलाओं का मानव विकास सूचकांक मूल्य 2014 में 0.525 है जो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को छोड़कर सबसे कम है। भारत के सन्दर्भ में बालिकाओं का औसत स्कूलिंग बालकों की तुलना में 3.6 वर्ष कमतर है, जो भारत के सांस्कृतिक सन्दर्भ में बालिकाओं के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। वर्तमान सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या में महिलाओं के बड़े अनुपात के साथ लैगिंक असमानता संबन्धी मुद्रों का समाधान किया जाए। जनगणना 2011 में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि देश में स्त्री और पुरुष का अनुपात असंतुलित है। इससे भी चिन्ता की बात यह है कि शून्य से छह वर्ष की आयु तक के बच्चों में भी लड़कियों के मुकाबले लड़कों की संख्या ज्यादा है और भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियों की जन्मदर सापेक्षतया पूरी दुनिया में सबसे कम है। इस दशक में शिशु लिंगानुपात में कमी आयी है, जनगणना 2001 में शिशु लिंगानुपात 927 था जो 2011 घटकर 914 हो गया यह निराश करने वाला तथ्य है। जहां तक आर्थिक ढांचे का प्रश्न है, महिलाएं अभी भी आर्थिक सशक्तीकरण और वित्तीय सामावेशन की परिधि से बाहर हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 11 प्रतिशत है। किन्तु खेदजनक यह है कि नियोजित ढंग से महिलाओं को निचले स्तर की नरम जिम्मेदारियां दी जाती हैं। नई दिल्ली में 99 सचिव स्तरीय पदों में केवल आठ पद महिलाओं के पास है और 65 अतिरिक्त सचिवों में केवल चार महिलाएं हैं। 283 संयुक्त सचिवों में सिर्फ 37 महिलाएं हैं। भारतीय पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 5.6 प्रतिशत के आस-पास है। वहीं भारतीय वन सेवा में इनकी भागीदारी नगण्य है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वेतनदायी कार्य में महिलाओं की कुल संख्या 15 प्रतिशत है अर्थात 85 प्रतिशत महिलाओं की नियति निर्भरता के संरचनात्मक रूप में निहित है। इन घटकों का अवलोकन करने से यह तथ्य दृष्टिगत होता है कि महिलाएं आज भी वंचना की शिकार हैं। इस वंचना को दूर करने के लिए महिला सशक्तीकरण एक आवश्यक पूर्व शर्त है। महिलाओं का सशक्तीकरण समाज के निचले स्तर से होना चाहिए।

'संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य' एवं उसके स्थान पर 2015 में स्वीकृत नए 'सतत विकास लक्ष्य 2030' में भी लिंग आधारित समानता एवं नारी सशक्तीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। भारत, महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने एवं उनके अधिकारों के संरक्षण संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि का हस्ताक्षरकर्ता होने के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के आयोग कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वूमन का भी सक्रिय सदस्य है।

भारत ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों तथा मानवाधिकार तंत्रों का अनुसमर्थन भी किया है। इनमें वर्ष 1993 में महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन का अनुसमर्थन प्रमुख है। भारत द्वारा मैक्सिको कार्ययोजना (1975), नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज (1985), बीजिंग घोषणा तथा कार्रवाई मंच (1995) व 21 वीं शताब्दी में महिला-पुरुष समानता और विकास एवं शान्ति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में अंगीकार किए गए निष्कर्ष दस्तावेज का भी समर्थक है। लैंगिक असमानता के खिलाफ सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 69 वें महासभा अधिवेशन द्वारा चलाये गये विश्व अभियान 'ही फॉर शी' में भी भारत सम्मिलित हुआ।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के विजन के अनुसार हिंसा व भेदभाव से मुक्त वातावरण में सशक्त महिलाएं सम्मान से रहें और विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा सकें। मंत्रालय का मिशन है कि विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध नीतियां और कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के सरोकारों को मुख्यधारा से जोड़कर, महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनमें जागरूकता बढ़ाकर या महिलाओं को अपने मानवाधिकारों के लिए प्रेरित

चुनिंदा देशों की लैगिंग विकास सूचकांक

देश	लैगिंक विकास सूचकांक		मानव विकास सूचकांक		जीवन प्रत्याशा		स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष		स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत		प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय	
	2014		2014		2014		2014		2014		2014	
	मूल्य	समूह	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
श्रीलंका	0.948	3	0.730	0.769	78.2	71.5	14.2	13.3	10.7	10.9	5452	14307
चीन	0.943	3	0.705	0.747	77.3	74.3	13.2	12.9	6.9	8.2	10128	14795
भारत	0.795	5	0.525	0.660	69.5	66.6	11.3	11.8	3.6	7.2	2116	8656
बांग्लादेश	0.917	4	0.541	0.590	72.9	70.4	10.3	9.7	4.5	5.5	2278	4083
पाकिस्तान	0.726	5	0.436	0.601	67.2	65.3	7.0	8.5	3.1	6.2	1450	8100

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट 2015

और सम्पूर्ण विकास के लिए संस्थागत और कानूनी समर्थन प्रदान करके महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।

महिला सशक्तीकरण में पंचायती राज की भूमिका

महिला पुरुष समानता के सिद्धान्त भारतीय संविधान में भी उल्लेखित किया गया है। भारतीय संविधान में महिलाओं के सशक्तीकरण एवं सुरक्षा हेतु कई प्रावधान हैं। इनमें 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।

महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से पंचायती राज दूरगामी महत्व का साबित हुआ है, कई अध्येता, जैसे निर्मल मुखर्जी, जॉर्ज मैथ्यू और रजनी कोठारी इसे क्रान्ति का नाम देते हैं, क्योंकि इसका दायरा बहुत ही व्यापक है। राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन का माध्यम बनी पंचायती राज की नई व्यवस्था जिसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गयी, उनका कार्य क्षेत्र परिभाषित किया गया, उनके संसाधनों के स्रोत निश्चित किये गये। इन्हें भारतीय राज्य का तीसरा संस्तर कहा जाता है, ये संस्थाएं नागरिक समाज एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित हुआ है कि तीनों स्तरों को पंचायतों की कम से कम एक-तिहाई सीटों और पदों पर महिलाएं होंगी। यदि आरक्षण मात्र महिलाओं को दिया गया होता, तो ज्यादातर सवर्ण और सम्पन्न परिवारों की महिलाएं ही दिखायी देतीं। इसलिए सामान्य वर्ग में ही नहीं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भी इन वर्गों की एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। इस तरह पंचायत क्रांति को समाज के सभी वर्गों तक ले जाने की कोशिश हुई। यह पंचायती राज व्यवस्था चार अवधारणाओं पर काम कर रही है-

पहला - पंचायती राज के माध्यम से लोग राजनीति में ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।

दूसरा - स्थानीय समुदाय को परिवर्तन का वाहक बनाने और उनमें योजनागत चेतना फूंकने से आर्थिक परिवर्तन तेजी से और सक्षमतापूर्वक होगा।

तीसरा - पंचायतों को शक्तियों का हस्तान्तरण होने से सरकारी संस्थाओं सामुदायिक विकास केन्द्रों, योजना समितियों को एक नयी समाज व्यवस्था एवं नागरिक समाज के उन्नयन यानि एक सहकारी समाज के लिए रास्ता साफ होगा।

चौथा - आम जनता के ऐसे समान अनुभव के आधार पर राजनीतिक संगठनों की ऐसी प्रणाली राष्ट्रीय एकता का वाहक बनेगी।

सचमुच भारत में पंचायती राज व्यवस्था की रचना प्राचीन एथेंस के प्रत्यक्ष लोकतंत्र

की तर्ज पर की गई है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में भी ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र था और पंचायती राज के सिद्धान्त के लिए पंच परमेश्वर की प्राचीन परम्परा से प्रेरणा ग्रहण की गयी है। इसके पीछे स्थानीय स्वशासन का यह उसूल काम कर रहा है कि सरकार की निचली इकाइयों को सत्ता का अधिकतम हस्तान्तरण और लोकप्रिय निर्वाचन से गठित स्थानीय संस्थाओं के जरिए स्वशासन। यह उसूल चार मान्य बुनियादी धारणाओं पर आधारित है। राजनीति में प्रत्येक वर्ग की जनता की भागीदारी, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को जुटाना, लोकतंत्र में बुनियादी संस्थाओं का समावेश करना और राष्ट्रीय एकता की गारंटी।

पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तीकरण की ही देन है कि पिछले 25 वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक बहस में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी की गुणवत्ता में सुधार आया है। आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में भी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अधिक हो सकेगा, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं एवं आवश्यकताएं उसी तरह की हैं। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के विकास जैसे चिन्तन का विकास हुआ और एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी का प्रयोग देश के उन हिस्सों में ज्यादा सफल रहा है जहां

पहले से ही स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है अथवा जहां राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया है। लेकिन जहां स्थितियां अनुकूल नहीं हैं या राजनीतिक दलों का सकारात्मक सहयोग नहीं मिला है वहां महिलाएं अपने वाजिब अधिकारों से आज भी वंचित हैं। पंचायतों में चुने जाने के बाद भी महिलाएं अपनी क्षमताओं का परिचय न दे सकें, इसके लिए कई अनौपचारिक उपाय अपना लिए गए हैं। एक उपाय है, उन्हें नाममात्र का प्रतिनिधि बना देना। बहुत सी पंचायतों में पुरुष ही महिला के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। वे अपनी पत्नी या किसी अन्य महिला रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाते हैं और उसके जीते जाने पर पंचायत में उनके प्रतिनिधि के रूप में सारा काम-काज खुद करते हैं। दूसरा उपाय अविश्वास प्रस्ताव। कोई महिला सरपंच बहुत प्रभावशाली है, आत्म विश्वास से सम्पन्न है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पंचायतों से बेदखल कर दिया जाता है। तीसरा, दो बच्चों के नियम का सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही उठाना पड़ा है। सरपंच महिला खुद तय नहीं कर सकती है कि उसके तीसरा बच्चा होगा या नहीं। यह निर्णय उसका पति करता है। लेकिन तीसरा बच्चा हो जाने पर सरपंच पद से हटाया जाता है उसकी पत्नी को।

इसलिए महिलाओं के सम्पूर्ण एवं वास्तविक सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तीकरण हो, क्योंकि कमजोर पंचायतें महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकती हैं। इसलिए पंचायतों की स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। अधिकतर पंचायतों के पास अपना कोई राजस्व नहीं है। नीति निर्माण करने का प्रावधान नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का सर्वथा अभाव है। इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रूप में देखने की बजाय विकास को ही पंचायती राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए, तभी वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव हो सकेगा।

महिलाएं भारत की आबादी का लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए यह जरूरी है कि सामाजिक, आर्थिक महौल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए आबादी के बड़े

हिस्से को पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है और सरकार को उपयुक्त नीतियां अपनाकर यह बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी' योजना में महिलाओं की निश्चित भागीदारी और अनिवार्य मातृत्व अवकाश नियमावली इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

स्वरोजगार उद्यमों के सृजन की भावना के संवर्धन के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महिला उद्यमियों की आकांक्षाएं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महिला ई-हॉट नामक एक पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराना।

महिलाओं के हितों की रक्षा व उनका सशक्तीकरण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज में महिलाओं की निर्णय लेने सम्बन्धी भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए सभी नागरिकों के बीच अवसरों की क्षमता के साथ प्रगतिशील समाज का निर्माण करने के लिए महिलाओं की वृहत्तर भूमिका को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महिला सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तीकरण। किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है, क्योंकि महिलाएं समाज की रचनात्मक शक्ति होती हैं। वर्तमान समाज को समृद्ध करने एवं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें महिलाओं की स्थिति को सुधारना होगा। इसके लिए समाज की मानसिकता बदलनी होगी एवं अपनी रूढ़िवादिता का त्याग कर एक नयी समावेशी विकासवादी रणनीति अपनानी होगी। यहां पर स्वामी विवेकानन्द की उस उक्ति को स्मरण करना उपयुक्त होगा, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। ❑

सन्दर्भ

1. योजना, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली सितम्बर 2016 पृष्ठ 23
2. रजनी कोठारी, राजनीति की किताब, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002 पृष्ठ 107
3. सीमोन दी बुआ, द सेकेण्ड सेक्स, पिकाडोर, 1988
4. आर्थिक समीक्षा 2017-18 खण्ड 1 वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। पृष्ठ 102
5. आर्थिक समीक्षा 2015-16 वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। पृष्ठ 215-16
6. आर्थिक समीक्षा 2014-15 वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। पृष्ठ 142-143
7. नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ इम्प्लॉयड वूमेन, श्रमशक्ति रिपोर्ट, नई दिल्ली, 1988
8. कुरूक्षेत्र, ग्रामीण महिला सशक्तीकरण अंक 10, अगस्त 2013 पृष्ठ 11
9. भारत, 2016 सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पृष्ठ 825
10. महीपाल, पंचायती राज : अतीत, वर्तमान और भविष्य, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली 1996, पृष्ठ 22-23
11. रजनी कोठारी, राजनीति की किताब, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002 पृष्ठ 106